लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

हिंदी त्रैमासिक ई-पत्रिका लेखापरीक्षा ज्ञानोदय

पांचवाँ अंक

कार्यालय महानिदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, मुंबई

सी-25, ऑडिट भवन, 8वाँ तल, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स

बांद्रा(पूर्व), मुंबई - 400 051

फैक्स-02226573814 **ई-मेल** pdcamumbai@cag.gov.in

लेखापरीक्षा ज्ञानोदय परिवार

मुख्य संरक्षक

श्री सी एम साने

महानिदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा

संरक्षक

डॉ. विशाल चवरे - निदेशक

श्री अविनाश जाधव - उपनिदेशक

संपादक-मंडल

श्रीमती मीना देशप्रभु	**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी**
श्रीमती स्वप्ना फुलपाडिया	**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी**
श्रीमती विद्या मुरलीधरन	**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी**
श्रीमती कल्पना असगेकर	**पर्यवेक्षक**
श्री आनंद कुमार सिंह	**कनिष्ठ अनुवादक**

(रचनाओं की मौलिकता का पूर्ण उत्तरादायित्व रचनाकारों का है - संपादक-मंडल)

अनुक्रमणिका

संदेश	श्री सी एम साने, महानिदेशक
संदेश	डॉ. विशाल चवरे, निदेशक
संदेश	श्री अविनाश जाधव, उपनिदेशक
संदेश	श्री अनुपम जाखड़, उपनिदेशक
संपादकीय	श्री आनंद कुमार सिंह
जय जवान जय किसान	सुश्री वी. सरला
बेटियाँ खास होती हैं	श्री देवेंद्र कुमार मीना
रासायनिक आपदा	श्री आकाश सिंह हाडा
भाषा और समाज	श्री आनंद कुमार सिंह
साने गुरुजी	श्री शरद धनगर
महान कवि रहीम जी का जीवन परिचय एंव साहित्य रचनाएं	श्री इमरान खाटीक
कोरोना वायरस	श्री हरीश कुमार
राजभाषा संबधी जानकारी	
सरकार के कार्मिकों के लिए राजभाषा हिंदी से संबंधित प्रोत्साहन योजनाएं	
आपके पत्र	
राजभाषा हिंदी के संबंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य	

संदेश

हमें यह जानकर अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है कि कार्यालय द्वारा तिमाही हिंदी ई-पत्रिका "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" के पांचवें अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। राजभाषा हिंदी के विकास के क्षेत्र पत्रिकाओं का योगदान सराहनीय है। राजभाषा हिंदी में कार्य करना अत्यंत गौरव की बात है। आशा है कि पत्रिका से राजभाषा के कार्यान्वयन को गति मिलेगी।

राजभाषा हिंदी के विकास को ध्यान में रखते हुए राजभाषा संबंधी नीतियों का अनुपालन किया जाना चाहिए। कार्यालयों में सहज वातावरण में राजभाषा हिंदी के प्रयोग के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए राजभाषा के प्रयोग को विकसित करते हेतु प्रयास करना चाहिए जिससे राजभाषा के विकास को गति मिल सके। हम सभी के प्रयासों का ही परिणाम है कि राजभाषा के प्रयोग में निरंतर वृद्धि हो रही है।

उन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का धन्यवाद जिनके सहयोग से पत्रिका के पांचवें अंक को पूर्ण करने का कार्य सफल हुआ है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत रचनाओं के सुंदर प्रस्तुतीकरण हेतु संपादक मंडल को हार्दिक शुभकामनाएं।

आशा करता हूँ कि हम सभी एक साथ मिलकर राजभाषा के विकास हेतु सदैव प्रयत्नशील रहेंगे तथा एक दूसरे का सहयोग करते रहेंगे।

(सी एम साने)

महानिदेशक

कार्यालय महानिदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, मुंबई

संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि कार्यालय द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में योगदान के लिए ई-पत्रिका "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" के पांचवें अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। पत्रिका प्रकाशन अधिकारियों तथा कर्मचारियों की राजभाषा में रुचि तथा रचनात्मक कौशल को प्रदर्शित करता है।

राजभाषा हिंदी के विकास हेतु कार्यालय द्वारा किए जा रहे कार्य सराहनीय है। पत्रिकाओं के निरंतर प्रकाशन से राजभाषा हिंदी में कार्य करने हेतु एक उचित माहौल विकसित होता है। राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने हेतु पत्रिकाओं के प्रकाशन के साथ साथ राजभाषा संबंधी अन्य गतिविधियों का आयोजन एक सार्थक प्रयास है।

पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु संपादक मंडल को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

(विशाल चवरे)

निदेशक/तेल

कार्यालय महानिदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, मुंबई

संदेश

यह अति प्रसन्नता का विषय है कि कार्यालय राजभाषा हिंदी के विकास में एक और कदम बढ़ाते हुए त्रैमासिक हिंदी ई-पत्रिका "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" के पांचवें अंक का प्रकाशन करने जा रहा है। राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में पत्रिकाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। पत्रिकाएं अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मन में राजभाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करती हैं तथा राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन हेतु जारी निर्देशों से अवगत कराती हैं।

हिंदी एक सहज भाषा है। कार्यालय में हिंदी के प्रयोग को सरल बनाने हेतु अन्य भाषा के प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों के प्रयोग से रुचि जागृत होती है जो हिंदी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करती है। आवश्कतानुसार इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग करके राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक साधनों ने राजभाषा हिंदी के प्रयोग को सरल बनाया है।

हमारे कार्यालय द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने हेतु पत्रिकाओं के प्रकाशन के साथ-साथ विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। हमारे संयुक्त प्रयासों से राजभाषा हिंदी के विकास हेतु सार्थक परिणाम प्राप्त होंगे।

पत्रिका के इस अंक के सफल प्रकाशन में सहयोग करने वाले समस्त रचनाकारों को धन्यवाद तथा संपादकीय मंडल को हार्दिक शुभकामनाएं।

मै यह आशा करता हूँ कि पत्रिका "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" का पांचवें अंक आप सभी के लिए रुचिकर एवं ज्ञानप्रद होगा।

(अविनाश जाधव)

उपनिदेशक

कार्यालय महानिदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, मुंबई

संदेश

मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि कार्यालय द्वारा हिंदी ई-पत्रिका "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय"के पाँचवें अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। यह प्रकाशन कार्यालय का राजभाषा के विकास के प्रति उत्साह को प्रदर्शित करता है। राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में पत्रिकाओं का प्रकाशन अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है।

कार्यालय के इस कार्य की सराहना करते हुए हिंदी के प्रोत्साहन के लिए लगातार ऐसे प्रयास चलते रहें, ऐसी कामना करता हूँ।

पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु संपादकीय मंडल को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

(अनुपम जाखड़)

उपनिदेशक

शाखा कार्यालय निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, देहरादून

कार्यालय महानिदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, मुंबई

संपादकीय

हमारे कार्यालय की त्रैमासिक हिंदी ई-पत्रिका "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" का पंचम अंक आप सभी के समक्ष सादर प्रस्तुत है। यह पत्रिका हम सभी के सम्मिलित प्रयासों का ही परिणाम है। राजभाषा हिंदी के विकास हेतु पत्रिका का प्रकाशन एक सार्थक प्रयास है। पत्रिकाएं कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में राजभाषा हिंदी के प्रति रुचि जागृत करने साथ-साथ छुपी हुई सृजनात्मक प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए सार्थक सिद्ध होती है।

हमें वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इससे जन-जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है किंतु हम सभी प्रत्येक चुनौती का सामना करने के पश्चात जीवन को सुगम बनाने हेतु प्रयास कर रहे हैं जो हमारे जीवन के मजबूत पक्ष को प्रदर्शित करता है।

हिंदी भाषा का प्रयोग राष्ट्रीय स्तर के साथ-साथ अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ रहा है। हिंदी भाषा में अन्य भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करने की अद्भूत क्षमता है जो इस भाषा की सबसे बडी शक्ति है। हिंदी का प्रयोग तीव्र गति से बढ रहा है तथा हमारे सहयोगों के फलस्वरूप राजभाषा को उचित स्थान अवश्य प्राप्त होगा।

सभी उच्च अधिकारियों के प्रति हार्दिक आभार जिनके प्रोत्साहन एवं सहयोग के फलस्वरुप पत्रिका का सफल प्रकाशन किया जा सका है। सभी रचनाकारों को सादर धन्यवाद जिन्होंने अपने रचना कौशल को प्रदर्शित करते हुए अपनी रचनाओं को पत्रिका में शामिल करने हेतु प्रस्तुत किया है। आप सभी से अनुरोध है कि पत्रिका के आगामी अंको के लिए भी आप अपना सहयोग देते रहें।

आशा है कि पूर्व अंको की तरक पत्रिका का यह अंक भी पाठकों के लिए रुचिकर एवं ज्ञानवर्धक होगा। पाठकों से हमारा यह विनम्र अनुरोध है कि पत्रिका को पढने के पश्चात अपने अमूल्य विचारों से हमारा उत्साहवर्धन करें तथा अपने विचारों से हमें अवगत कराएं।

आनंद कुमार सिंह

कनिष्ठ अनुवादक

जय जवान जय किसान

हैं पूजे जाते सिनी अभिनेता अभिनेत्री हमारे देश में
हैं जिनकी चमक झूठी पर्दे पर हमारे देश में
पर हैं करते कमाई लाखो करोड़ों मे हमारे देश में।
है विडंबना हमारे देश की
रहती जेबे खाली किसानो की हमारे देश में
जो हैं करते कड़ी मेहनत मिटाने को भूख और प्यास हमारे देश मे ।
हैं कहते कृषि प्रधान देश हमारे देश को
है गुजरता फिर भी गरीबी में जीवन किसानो का हमारे देश में।
है निर्भर किसान की मेहनत पर प्रगति हमारे देश की
है फिर भी रहता सदा उनका नाम और चेहरा अज्ञात हमारे देश में ।

है निर्भर जवानो पर सुरक्षा हमारी देश की
जब वे हैं देते आहुती सरहद पर हमारे देश की
और लहरा जाता है जब तिरंगा हमारे देश में
तब है किए जाते याद जवान हमारे देश में।
है होता सदा गुण गान अभीनेता अभीनेत्री का हमारे देश में
हैं जिनकी चमक झूठी पर्दे पर हमारे देश में ।

हैं अब करना जागृत युवाओ को हमारे देश में
होगा तब किसानो और जवानो का सही माने में आदर हमारे देश में ।

सुश्री वी. सरला
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

****

"बेटियाँ खास होती है "

होली का रंग, घर की उमंग होती हैं,
मन की तरंग, जीने का ढंग होती हैं,
विजेता वही है, बेटी जिसके संग होती हैं,
हर परिस्थिति में मन का विश्वास होती हैं,
बेटियाँ खास होती हैं।।

माँ की लाडली, पापा की परी,
अपने- पराये सबकी पीड़ा उसने हरी,
स्वयं में संसार लिए,
खुशियों का अम्बार लिए,
चलती जाती है अपने वेग से,
शाश्वत प्रेम व करुणा की अहसास होती हैं,
बेटियाँ खास होती हैं।।

दुर्गा, काली, अन्नपूर्णा, रिद्धि-सिद्धि व सुनिधि होती हैं,
इस ब्रम्हांड की त्रिज्या, जीवा व परिधि होती हैं,
दुःख और पीड़ा का निकास होती हैं,
प्रेरणा की स्रोत व धैर्य का लिबास होती हैं,
बेटियाँ खास होती हैं।।

दौड़ती,खिलखिलाती हँसती मुस्कराती,
कभी छत पे, कभी आँगन में,
जहाँ भी रहती है बिंदास होती हैं,
चाहे दूर होती है, चाहे पास होती है,

हर हाल में बेटियाँ खास होती है।।
आशा, आकांक्षा, अनुराधा,अभिलासा,
बेटी इन सबकी सटीक अभिलाषा,
त्याग और समर्पण की मिसाल होती हैं,
चाहे मायके में, चाहे ससुराल होती हैं ,
उसके होने से घर में रौनक होती है,
उसके रोने से प्रकृति उदास होती है,
बेटियाँ खास होती हैं।।

बेटे तो एक घर चलाते हैं,
बेटियां दो-दो घरों को स्वर्ग बनाती हैं।
बेटे पिता की ज़मीन बांटते हैं,
बेटियां पिता का दुख बांटती हैं,
बेटियाँ खास होती हैं।।
,

देवेंद्र कुमार मीना
वरिष्ठ लेखापरीक्षक

****

"हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है।"
- वी. कृष्णस्वामी अय्यर।

रासायनिक आपदा

देश में चेतना दुर्घटनोपरांत होना एक आचरण सा बनता जा रहा है| फिर चाहे वो विशाखापट्नम के एल.जी. पॉलीमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में स्टाइरीन गैस रिसाव हो या रायगढ़ पेपर मिल गैस रिसाव या भोपाल त्रासदी सहित देश में घटित (छोटी-बड़ी) 130 से अधिक रासायनिक आपदाओं से जान माल का नुकसान होना हो| ऐसा नहीं की देश में कानून नहीं है|रासायनिक आपदाओं एवं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कई कानून है जैसे;

- भोपाल गैस आपदा कानून 1985,
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986,
- राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण नियम 1997,
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 आदि

उक्त सहित कुछ अन्य कानून के अस्तित्व के बाद भी हो रही रासायनिक आपदाओं के बहुत से कारण है, जैसे

- अपर्याप्त सुरक्षा मानक,
- निरंतर मॉकड्रिल का अभाव,
- उद्योगों का घनी आबादी के निकट स्थापित होना,
- तक़नीकी/मानकीय निम्नीकरण,
- मानवीय लापरवाही/कौशल अभाव,
- प्रबंधन संबंधी लापरवाही,
- कानूनों की नजरअंदाजगी,
- पर्याप्त पर्यवेक्षण का अभाव आदि

परन्तु कानून होने एवं कारण पता होने पर भी कानून व सरकारें रासायनिक आपदाओं को रोकने में नाकाम रही है|

समाधान/कदम:

- कानूनों में संशोधनात्मक मजबूती प्रदान करते हुए सजा के प्रावधानों को और सशक्त कर बेहतर क्रियान्वयन|
- सुरक्षा मानको को कड़ाई से लागु कर निरंतर मॉकड्रिल|

- दुर्घटना नियंत्रण हेतु कौशल विकास|
- "सेफ्टी ऑडिट "
- "ऑफसाइट" एवं "ऑनसाइट" आपात योजना|
- उद्योगों को आबादी से दूर स्थापित करना|

रोजगार सृजन एवं औद्योगिकीकरण पर नागरिक सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है| अतः उक्त वर्णित समाधान क्रियान्वयन से आपदा दोहरान रोका जाना चाहिए|

आकाश सिंह हाडा
सहायक लेखपरीक्षा अधिकारी

****

"हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द का बहिष्कार नहीं किया।"
- डॉ. राजेंद्र प्रसाद।

भाषा और समाज

भाषा और समाज एक दूसरे पर पर निर्भर हैं। भाषा का जन्म समाज में होता है तथा समाज में ही इसका विकास होता है। भाषा समाज का अभिन्न अंग है। समाज में व्यवहार के अनुसार भाषा में परिवर्तन होता है। भाषा की व्यवस्था व्यवहार से ही समझ आती हैं। भाषा व्यवहार के नियम भाषा व्यवस्था में अंतर्निहित हैं। भारतीय समाज में बहुत सी भाषाएं हैं जिसमें से अधिकांश की अपनी अपनी लिपि है। राज्यों की प्रमुख भाषाओं के अतिरिक्त भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अनेक क्षेत्रीय बोलियों का प्रयोग किया जाता है। संप्रेषण की आवश्यकता के अनुसार समाज में अलग-अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है।

समाज के अनुसार भाषा का दायित्व भी बढ़ जाता है और भाषा को कई भूमिकाएं निभानी पडती हैं। किसी भी देश में सरकारी कामकाज के लिए एक भाषा निर्धारित की जाती है जिसे राजभाषा कहा जाता है। जब देश में कई भाषाएं प्रचलित हों तो राजभाषा का निर्धारण भाषा को बोलने वालों की संख्या के प्रतिशत, क्षेत्र, इतिहास तथा राजनैतिक एवं साहित्यिक दृष्टिकोण के आधार पर किया जाता है। इसी प्रकार बहुभाषी समाज में संपर्क भाषा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। संपर्क भाषा के माध्यम से भिन्न-भिन्न भाषाओं को बोलने वाले समाज के बीच संपर्क स्थापित हो पाता है। संपर्क भाषा का अस्तित्व भिन्न-भिन्न भाषाओं को बोलने वाले समाजों के संपर्क की स्थिति पर निर्भर है। राजभाषा और संपर्क भाषा के अतिरिक्त संचार माध्यम की भाषा, शिक्षा की भाषा, साहित्य की भाषा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भाषा आदि का प्रयोग किया जाता है। सभी भाषाओं का प्रयोग उनके क्षेत्र के आधार पर किया जाता है।

भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों से उस समाज के इतिहास, संस्कृति आदि का पता चलता है। जैसे कि हिंदी में फारसी, अरबी, अंग्रेजी आदि शब्दों का प्रयोग यह बताता है कि हिंदी भाषा कभी इन भाषाओं के संपर्क में थी। भाषाएं प्रयोग के साथ एक दूसरे से इतना घुल-मिल जाती हैं कि पहचानना कठिन हो जाता है। भाषा में समाज की संस्कृति के अनुसार भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। समाज में शब्दों का प्रयोग उस समाज में प्रचलित व्यवस्था के आधार पर विकसित होते हैं। समाज में शब्दों का प्रयोग उस समाज के सांस्कृतिक आधार पर शब्दों की आवश्यकता को प्रदर्शित करता है। भाषा में प्रयोग किया जाने वाले शब्द तू, तुम और आप वक्ता तथा श्रोता

के बीच संबंध को बताता है। इन शब्दों के प्रयोग से समाज में स्थान, आयु, स्तर आदि का पता चलता है। इन शब्दों के प्रयोग के आधार पर व्यक्तियों के व्यक्तित्व और स्तर का पता चलता है। भाषा के प्रयोग में संरचना संबंधी नियम के साथ-साथ समाज के नियम भी महत्वपूर्ण हैं। बच्चे को समाज के योग्य बनाने हेतु आरंभ से ही भाषा संबंधी व्यवहार सिखाए जाते हैं। यह एक पीढी से दूसरे पीढी तक चलता रहता है।

इस प्रकार भाषा समाज का अभिन्न अंग है तथा भाषा का विकाश समाज के साथ विकसित होता रहता है।

आनंद कुमार सिंह

कनिष्ठ अनुवादक

****

"हिंदी उन सभी गुणों से अलंकृत है जिनके बल पर वह विश्व की साहित्यिक भाषाओं की अगली श्रेणी में सभासीन हो सकती है।"
- मैथिलीशरण गुप्त।

श्री. पाण्डुरंग सदाशिवराव साने (साने गुरुजी)

साने गुरुजी का जीवन-परिचय

महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में स्थित रत्नागिरी जनपद के पालगड कस्बे में श्री पाण्डुरंग सदाशिवराव साने (साने गुरुजी) के पिता श्री सदाशिवराव रहते थे। वे पेशे से जमीनदार थे। जमीनदार का घराना साधारणतः धनी एवं संपन्न समझा जाता है। उनके दादा के समय उनके घर और परिवार की स्थिति इसी प्रकार की थी, किंतु, पिता श्री सदाशिवराव के समय परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अधिक बिगड़ गई कि अंग्रेज/ब्रिटिश सरकार ने उनका घर उनसे छीनकर, घर पर कब्ज़ा कर लिया। उन्हें घर से निकाल दिया गया। इस बड़े किंतु निर्धन परिवार में 24 दिसंबर, 1899 को साने गुरुजी का जन्म हुआ । वे मराठी के प्रसिद्ध लेखक, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे साने गुरूजी के नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं। गुरुजी की माताजी का नाम यशोधाबाई साने था । बचपन से ही गुरुजी का अपनी माताजी से बहुत लगाव था । उन्होंने, 'श्यामची आई ' नामक मराठी पुस्तक में अपनी मां की संपूर्ण स्मृतियां लिखी हैं। उनकी मां ने उनके बालक मन पर जिन विविध संस्कारों का प्रभाव डाला था, उसी के बल पर गुरुजी का जीवन विकसित हुआ । सभी से प्रेम करने का संस्कार साने गुरुजी को अपनी मां से ही मिला था । साने गुरुजी का मन अत्यंत भावुक एवं संस्कार से भरा हुआ था । इसीलिए, उनमें मां द्वारा बोए गए सुविचारों के बीज शीघ्रता से विकसित हुए। उनके जीवन मे मां द्वारा दिए गए शिक्षा का बहुत प्रभाव था। शिक्षा पूर्ण होने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र के जलगांव जिले में स्थित अमलनेर के प्रताप हाई स्कूल मे शिक्षक के पद पर काम किया। आज भी वहां उनके द्वारा किए गए कार्य को याद किया जाता हैं। प्रताप हाई स्कूल मे छात्रावास की जिम्मेदारी सम्भालते हुए उन्हे बहुत प्रसिद्धि मिली। उन्होने छात्रावास में छात्रों को खुद के जीवन के स्वावलम्बन का पाठ पढाया। अमलनेर में उन्होने तत्त्वज्ञान मंदीर मे तत्त्वज्ञान की शिक्षा ली।

साने गुरुजी का वांङमय

साने गुरुजी द्वारा रचे गए वाङमयों की संख्या विपुल है। उपन्यास, लेख, निबंध, काव्य, जीवनी, नाट्यसंवाद आदि साहित्य के अलग-अलग क्षेत्रों में बिना थके व बिना रुके उनका लेखन कार्य जारी था। उनकी भाषा में एक विशिष्ट प्रकार की धार है तथा उनका साहित्य बोधगम्य है । उनकी

लेखण शैली सरल एवं समझने योग्य थी। इसलिए लोगों को उनका सरल भाषा में लेखन अच्छा लगा। उन्होंने अपना संपूर्ण साहित्य समाज के उद्धार के लिए ही लिखा है। उनके मन में राजनीतिक, सामाजिक एवं शिक्षा क्षेत्र से संबंधित जो विचार आते थे, जो भावनाओं का संघर्ष चलता था, वह सब उन्होंने अपनी लेखनी द्वारा व्यक्त किया है। कला एवं साहित्य केवल अपनी उन्नति एवं प्रगति के लिए होनी चाहिए, ऐसे विचारों से उन्होंने अपने लेख कभी नहीं लिखे। अपने साहित्य लेखन में उन्होंने समाज से संबंधित विचार और अनुभव व्यक्त किए हैं । उन्होंने सामान्य घरेलू प्रसंगों पर लेख लिखे हैं, जो दिल को छू जाते हैं! गुरुजी का वाङमय बूढ़ो से बच्चों तक सभी के लिए था। उन्होंने युवकों के लिए पथप्रदर्शक उपन्यास, जीवनी आदि लिखीं, वयस्कों के लिए उपन्यास एवं निबंध लिखे। विपुल साहित्य में दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, 'श्यामची आई' और 'श्याम'।

साने गुरुजी पर महात्मा गांधी जी के विचारो का बहुत प्रभाव था। वो खादी के कपड़ो का उपयोग करते थे। सन 1930 मे उन्होने शिक्षक कि नौकरी छोड़ दी। शिक्षक की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया।

साने गुरुजी द्वारा प्रकाशित कूछ महत्वपूर्ण साहित्य

1) अमोल गोष्टी **2)** आपण सारे भाऊ भाऊ **3)** आस्तिक **4)** इस्लामी संस्कृति
5) कला आणि इतर निबंध **6)** कल्की अर्थात संस्कृतीचे भविष्य **7)** क्रांति
8) गोष्टीरूप विनोबाजी **9)** जीवनप्रकाश **10)** दिल्ली डायरी **11)** देशबंधु दास
12) पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर **13)** भारतीय संस्कृति

आंतरभारती

गुरुजी ने एक और महान कार्य किया है, जो कि "आंतर भारती" की स्थापना हैं। उस समय प्रांत-प्रांत के बीच में ईष्या का माहौल था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जातीयता भारत की अखंडता के लिए घातक सिद्ध होगी । ईष्या और कटुता को समाप्त करने के लिए तथा एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश के प्रति द्वेषभाव नष्ट करने के लिए उन्होंने "आंतर भारती" का प्रयोग आरंभ करने का प्रयत्न किया था। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य यह था कि विभिन्न प्रदेश के लोग एक-दूसरे की भाषा सीखें, उनकी प्रथा परंपरा समझें । इसके लिए चंदा/पैसा इकठ्ठा कर विभिन्न प्रादेशिक भाषाएं सीखने हेतु विद्यार्थियों के लिए कुछ अच्छी व्यवस्था हो, ऐसी अपनी इच्छा उन्होंने महाराष्ट्र साहित्य सम्मेलन के भाषण में व्यक्त की थी। इसके लिए उन्होंने कुछ पैसा भी इकठ्ठा किया था। परंतु यह कार्य पूरा होने के पहले ही दिनांक 11 जून 1950 को उनका देहावसान हो गया ।

साने गुरुजी के "श्यामची आई" मराठी में लिखे उपन्यास पढ़कर जिसकी आँखें नम न हुई हों, ऐसे व्यक्ति कम ही होंगे। बेहद सरल, दिल को छू लेने वाली भाषा साने गुरुजी की विशेषता है। कहा जा सकता है कि, माँ की प्रेममय और महान सीख का सरल, सहज और सुंदर शब्दों में किया गया चित्रण "श्यामची आई" है।

अपने बच्चों से अपार प्रेम करने वाली, बच्चे सुंसस्कारी बनें, इसलिए जी जान से कोशिश करने वाली, लेकिन संस्कारों की अमिट छाप उपदेश रूपी दवा की खुराक के रूप में नहीं, बल्कि अपने बरताव से और रोजमर्रा के छोटे छोटे प्रसंगों के जरिए बच्चों के मन पर छोड़ने वाले अनुशासन का महत्त्व बताते हुए प्रसंगानुसार कठोर बनने वाली यह आदर्श माँ आज की उदयोन्मुख पीढ़ी के लिए ही नहीं, बल्कि उनके माता-पिता के लिए भी निश्चित रूप से प्रेरक साबित होगी।

शरद धनगर

लेखापरीक्षक

****

महान कवि रहीम जी का जीवन परिचय एंव साहित्य रचनाएं

हिंदी साहित्य में रहीम जी का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा हैं। रहीम कला प्रेमी, कवि और साहित्यकार थे। रहीम मुगल बादशाह अकबर के दरबार में उनके नवरत्नों में से एक गिने जाते थे। यह वही रहीम हैं जिनके हिंदी के दोहे आपने कभी न कभी पढ़े ही होगे । वे अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के अंशो को उदाहरण के रूप में उपयोग करते थे, जो भारतीय संस्कृति की झलक को पेश करता है । पंजाब में उनके नाम पर एक गाँव का नाम खानखाना रखा गया है । उनके काव्य में भक्ति, नीति, प्रेम और श्रृंगार का सुन्दर समावेश मिलता है।

जीवन परिचय:-

अब्दुल रहीम खानखाना का जन्म 17 दिसम्बर 1556 को लाहौर में एक तुर्की परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बैरम खान तथा माता का नाम सुल्ताना बेगम था । जब रहीम का जन्म हुआ उस समय बैरम खान की आयु 60 वर्ष थी । रहीम के पिता हुमायूँ की सेना में काम करते थे । बैरम खान की दूसरी पत्नी का नाम सईदा बेगम था । जो एक कवियित्री थी । अब्दुल रहीम को काव्य रचना का गुण विरासत में मिला था । हुमायूँ की मृत्यु के बाद बैरम खान ने मात्र 13 वर्ष की उम्र में अकबर को राजसिंहासन पर बैठा दिया था । हज यात्रा के बाद बैरम खान की पत्नी अपने इकलौते पुत्र अब्दुल रहीम को बचाकर अहमदाबाद ले गई ।

बाबा जम्बूर से अब्दुल रहीम ने शिक्षा ग्रहण की थी । मात्र 16 वर्ष की उम्र में अब्दुल रहीम का विवाह जीजा कोका की बहन माहबानों से हुआ था। इसके बाद रहीम ने दो और विवाह किये थे । दुसरा विवाह एक सौदा जाती की लड़की से हुआ था और तीसरा विवाह एक दासी से हुआ था। रहीम के जीवन का अंतिम समय अत्यंत कष्ट में बिता था। अकबर की मृत्यु के पश्चात जहाँगीर ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उनकी सारी संपत्ति जप्त कर ली थी। रहीम इधर उधर भटकते रहे किन्तु कभी अपना आत्मसम्मान नहीं गवाँया। सन् 1627 में इनकी मृत्यु हो गयी। रहीम अरबी ,फारसी ,तुर्की और संस्कृत आदि कई भाषाओ के पंडित तथा हिंदी काव्य के ज्ञाता थे।

प्रमुख रचनाएँ

रहीम दोहावली, बरवै, नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा आदि। रहीम ने अवधी और ब्रजभाषा दोनों में ही कविता की है जो सरल, स्वाभाविक और प्रवाहपूर्ण है। उनके

काव्य में शृंगार, शांत तथा हास्यरस मिलते हैं। दोहा, सोरठा, बरवै, कवित्त और सवैया उनके प्रिय छंद हैं। रहीम जी की भाषा अत्यंत सरल है, उनके काव्य में भक्ति, नीति, प्रेम और श्रृंगार का सुन्दर समावेश मिलता है। उन्होंने सोरठा एवं छंदों का प्रयोग करते हुए अपनी काव्य रचनाओं को किया है| उन्होंने ब्रजभाषा में अपनी काव्य रचनाएं की है | उनके ब्रज का रूप अत्यंत व्यवहारिक, स्पष्ट एवं सरल है| उन्होंने तदभव शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। ब्रज भाषा के अतिरिक्त उन्होंने कई अन्य भाषाओं का प्रयोग अपनी काव्य रचनाओं में किया है| उनकी अधिकतर काव्य रचनाएं मुक्तक शैली में की गई हैं जो कि अत्यंत ही सरल एवं बोधगम्य है |

रहीम दोहावली

रहीमजी के दोहे जन मानस में काफी प्रचलित हैं। उनके दोहे आज भी प्रासंगिक लगते है। उनके दोहो कि मार्मिकता निम्न उदाहरणों से स्पष्ट कि जा सकती है। उदहारण की तौर पर-

रहिमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाय।
टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गाँठ परि जाय॥

अर्थ - प्रेम के धागे को कभी तोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि यह यदि एक बार टूट जाता है तो फिर दुबारा नहीं जुड़ता है और यदि जुड़ता भी है तो गांठ तो पड़ ही जाती है।

रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सौ बार।
रहिमन फिरि फिरि पोइए, टूटे मुक्ता हार॥

अर्थ: यदि आपका प्रिय सौ बार भी रूठे, तो भी रूठे हुए प्रिय को मनाना चाहिए, क्योंकि यदि मोतियों की माला टूट जाए तो उन मोतियों को बार बार धागे में पिरो लेना चाहिए।

बिगरी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय।
रहिमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय॥

अर्थ: मनुष्य को सोचसमझ कर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि बात बिगड़ जाती है तो फिर उसे बनाना कठिन होता है, जैसे यदि एकबार दूध फट गया तो लाख कोशिश करने पर भी उसे मथ कर मक्खन नहीं निकाला जा सकेगा।

रहिमन देखि बड़ेन को, लघु न दीजिए डारि।
जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारि॥

अर्थ: रहीम कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देख कर छोटी वस्तु को फेंक नहीं देना चाहिए। जहां छोटी सी सुई काम आती है, वहां तलवार बेचारी क्या कर सकती है?

खीरा सिर ते काटि के, मलियत लौंन लगाय।
रहिमन करुए मुखन को, चाहिए यही सजाय॥
अर्थ: खीरे का कड़ुवापन दूर करने के लिए उसके ऊपरी सिरे को काटने के बाद नमक लगा कर घिसा जाता है। रहीम कहते हैं कि कड़ुवे मुंह वाले के लिए - कटु वचन बोलने वाले के लिए यही सजा ठीक है।

जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग।
चन्दन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहत भुजंग॥
अर्थ: रहीम कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं, उनको बुरी संगति भी बिगाड़ नहीं पाती। जहरीले सांप चन्दन के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी उस पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं डाल पाते।
रहीम जी के दोहे गाघर में सागर भरे हुए है। उनके शाब्दिक बाण तीरों जैसे है, जो उन्हें पढ़ने वाले श्रोताओ को प्रभावित करते है। उनकी शाब्दिक मार्मिकता से श्रोताओं का मन विभोर हो जाता हैं। आज भी रहीम जी के दोहे हिंदी साहित्य में अपना महत्व बनाये हुवे है।

इमरान खाटीक
लेखापरीक्षक

****

कोरोना वायरस

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया गया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है, लेकिन कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फ़ैल रहा है।

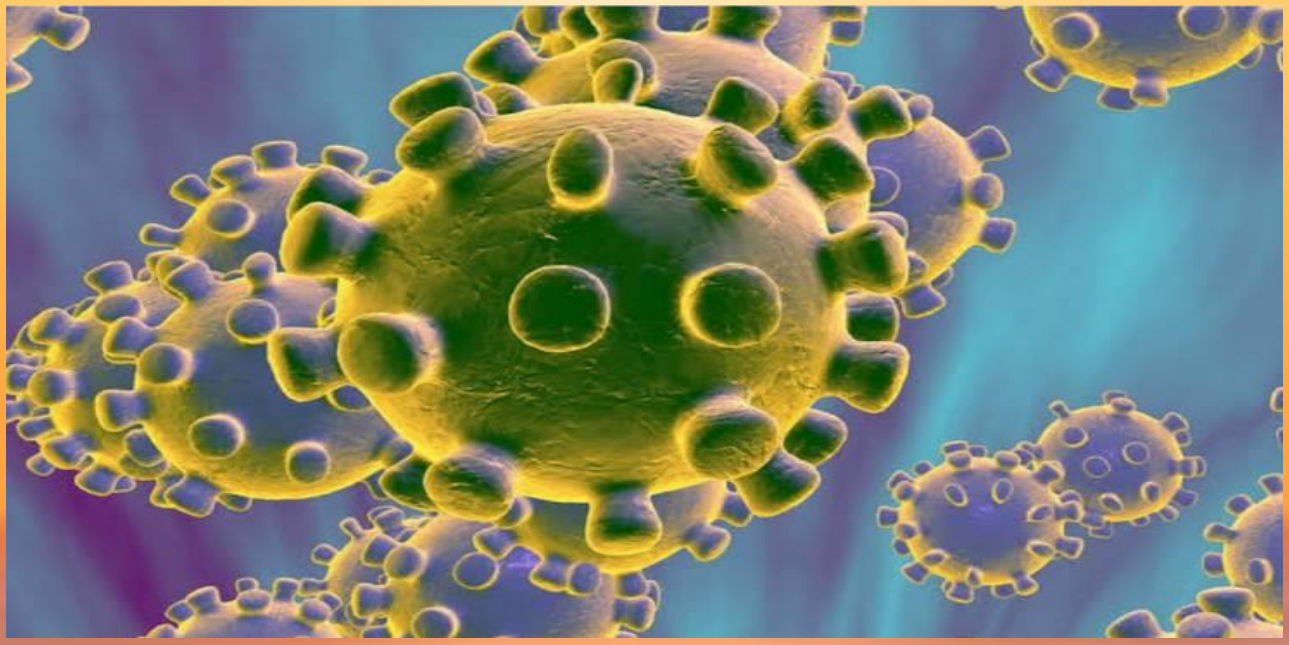

कोरोना वायरस क्या है?

कोरोना वायरस (सीओवी) का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। डब्लूएचओ के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। इसके संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। यह वायरस दिसंबर में सबसे पहले चीन में पकड़ में आया था।

कोरोना से मिलते-जुलते वायरस खांसी और छींक से गिरने वाली बूंदों के ज़रिए फैलते हैं। कोरोना वायरस अब चीन में उतनी तीव्र गति से नहीं फ़ैल रहा है जितना दुनिया के अन्य देशों में फैल रहा है। कोविड 19 नाम का यह वायरस अब तक 70 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। कोरोना के संक्रमण के बढ़ते ख़तरे को देखते हुए सावधानी बरतने की ज़रूरत है ताकि इसे फैलने से रोका जा सके।

इस बीमारी के लक्षण:-

कोविड-19/कोरोना वायरस में पहले बुख़ार होता है। इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर एक हफ़्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। इन लक्षणों का हमेशा मतलब यह नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी, किडनी फ़ेल होना और यहां तक कि मौत भी हो सकती है। बुज़ुर्ग या जिन लोगों को पहले से अस्थमा, मधुमेह या दिल की बीमारी है उनके मामले में ख़तरा गंभीर हो सकता है। ज़ुकाम और फ्लू में के वायरसों में भी इसी तरह के लक्षण पाए जाते हैं।

कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब क्या करें?

इस समय कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है लेकिन इसमें बीमारी के लक्षण कम होने वाली दवाइयां दी जा सकती हैं। जब तक आप ठीक न हो जाएं, तब तक आप दूसरों से अलग रहें।

बचाव के उपाय-

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनके मुताबिक हाथों को साबुन से धोना चाहिए। अल्कोहल आधारित हैंड सैनेटाइजर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। खांसते और छीकते समय नाक और मुंह रूमाल या टिश्यू पेपर से ढंककर रखें।जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू के लक्षण हों, उनसे दूरी बनाकर रखें। अंडे और मांस के सेवन से बचें। जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचें।

अगर आप किसी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं, तो आपको मास्क पहनना होगा। जिन लोगों को बुखार, कफ या सांस में तकलीफ की शिकायत है, उन्हें मास्क पहनना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए।

*** मास्क पहनने का तरीका :-**

मास्क पर सामने से हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर हाथ लग जाए तो तुरंत हाथ धोना चाहिए। मास्क को ऐसे पहनना चाहिए कि आपकी नाक, मुंह और दाढ़ी का हिस्सा उससे ढंका रहे। मास्क उतारते वक्त भी मास्क की लास्टिक या फीता पकड़कर निकालना चाहिए, मास्क नहीं छूना चाहिए। हर रोज मास्क बदल दिया जाना चाहिए।

कोरोना का संक्रमण फैलने रोकने के उपाय:

सार्वजनिक वाहन जैसे बस, ट्रेन, ऑटो या टैक्सी से यात्रा करने से बचें तथा अत्यंत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें।घर में मेहमान न बुलाएं। अनावश्यक सार्वजनिक जगहों पर न जाएं। अगर आप और भी लोगों के साथ रह रहे हैं, तो ज़्यादा सतर्कता बरतें। अलग कमरे में रहें और साझा रसोई व बाथरूम को लगातार साफ़ करें। ऐसा करते रहें ताकि संक्रमण का ख़तरा कम हो

सके। अगर आप संक्रमित क्षेत्र से आए हैं या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहे हैं तो आपको अकेले रहना चाहिए और निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए। घर पर रहें और स्वयं की तथ दुसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाहर ना निकलें।

कोरोना वायरस के बारे में अभी तक इस तरह के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि कोरोना वायरस पार्सल, चिट्टियों या खाने के माध्यम से फैलता है। कोरोना वायरस जैसे वायरस शरीर के बाहर बहुत ज़्यादा समय तक ज़िंदा नहीं रह सकते। कोरोना वायरस को लेकर लोगों में एक अलग ही बेचैनी है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इस वायरस का डर बना हुआ है तथा पूरे समाज में तनाव का माहौल है।

अतः इस वायरस से बचने के लिए यथासंभव निवारक उपाय का पालन करें जिससे इसको फैलने से रोका जा सके।

हरीश कुमार

आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक

****

"मेरा आग्रहपूर्वक कथन है कि अपनी सारी मानसिक शक्ति हिन्दी के अध्ययन में लगावें।" - विनोबा भावे।

राजभाषा संबंधी जानकारी

संविधान का अनुच्छेद 343: संघ की राजभाषा--

संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

संविधान का अनुच्छेद 351. हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश--

संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्थानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

राजभाषा अधिनियम 1963 (यथा संशोधित 1967) की धारा 3(3) के अनुसार हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाने वाले दस्तावेज --

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा (3)3 के अंतर्गत अनिवार्य रुप से द्विभाषी जारी किए जाने वाले कागज़ात

1- सामान्य आदेश (General Orders)

2 -संकल्प(Resolution)

3- परिपत्र(Circulars)

4-नियम(Rules)

5- प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन (Administrative or other reports)

6- प्रेस विज्ञप्तियां (Press Release/Communiques)

7- संविदाएं(Contracts)

8- करार(Agreements)

9- अनुज्ञप्तियां(Licenses)

10- निविदा प्रारुप (Tender Forms)

11- अनुज्ञा पत्र (Permits)

12- निविदा सूचनाएं (Tender Notices)

13- अधिसूचनाएं(Notifications)

14- संसद के समक्ष् रखे जाने वाले प्रतिवेदन तथा कागज़ पत्र (Reports and documents to be laid before the Parliament)

राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976

(यथा संशोधित, 1987, 2007 तथा 2011)

इनका विस्तार, तमिलनाडु राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

'क्षेत्र क' से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड़, उत्तराखंड राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;

'क्षेत्र ख' से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं;

'क्षेत्र ग' से उपर्युक्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;

नियम-5 : हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर--

हिन्दी में पत्रादि के उत्तर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से हिन्दी में दिए जाएंगे ।

नियम-6 हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग-

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसी दस्तावेजें हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही में तैयार की जाती हैं, निष्पादित की जाती हैं और जारी की जाती हैं।

नियम 9 : हिन्दी में प्रवीणता-

यदि किसी कर्मचारी ने-

मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली

है या स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में

हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो; या

यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है ।

नियम 10 : हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान-

यदि किसी कर्मचारी ने-

मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है; या केन्द्रीय सरकार की हिन्दी परीक्षा योजना के अन्तर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के सम्बन्ध में उस योजना के अन्तर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या

यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है;

तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

यदि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से अस्सी प्रतिशत ने हिन्दी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

नियम 11 : मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि-

=> केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।

=> केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्ररूप और शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे।

=> केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों से छूट दे सकती है।

नियम 12 : अनुपालन का उत्तरदायित्व-

केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह--

यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों और उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है औरइस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करे ।

सरकार के कार्मिकों के लिए राजभाषा हिंदी से संबंधित प्रोत्साहन योजनाएं

हिंदी शिक्षण योजना की परीक्षाएँ उतीर्ण करने पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार आदि प्रोत्साहन

1- **वैयक्तिक वेतन-** हिंदी भाषा, हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने पर केंद्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर का वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।

(क) प्रबोध परीक्षा- वैयक्तिक वेतन केवल उन्हीं अराजपत्रित कर्मचारियों को दिया जाता है जिनके लिए प्रबोध पाठ्यक्रम अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित किया गया है और जो इस परीक्षा को 55 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर उत्तीर्ण करते हैं। राजपत्रित अधिकारियों को प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वैयक्तिक वेतन नहीं दिया जाता है।

[का0ज्ञा0 सं0-12014/2/76-रा0भा0 (डी.) दिनांक 2.9.1976–पैरा 1(3)]

(ख) प्रवीण परीक्षा- वैयक्तिक वेतन केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को दिया जाता है जिनके लिए प्रवीण पाठ्यक्रम अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित किया गया है-

(1) अराजपत्रित कर्मचारियों को 55 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

(2) राजपत्रित अधिकारियों को 60 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

[(का0ज्ञा0सं012014/2/76-रा0भा0(डी.)/दिनांक 2.9.1976–पैरा 1(2)]

(ग) प्राज्ञ परीक्षा- वैयक्तिक वेतन केवल उन्हीं सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों (राजपत्रित /अराजपत्रित) को प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दिया जाता है जिनके लिए यह पाठयक्रम अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित किया गया है।

(1) अराजपत्रित कर्मचारियों को उत्तीर्णांक लेकर प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

(2) राजपत्रित अधिकारियों को 60 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

[(का0ज्ञा0सं0- 12014/2/76-रा0भा0(डी.)/दिनांक 2.9.1976–पैरा 1(1)

तथा का0ज्ञा0सं0- 12014/1/78-रा०भा०(डी.) दिनांक 14.2.1979)]

(घ) हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण- हिंदी शब्द संसाधन / हिंदी टंकण की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले केंद्र सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि के बराबर 12 महीने की अवधि के लिए वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।

[(का0ज्ञा0सं0 12014/2/76-रा0भा0(डी.)/दिनांक 2.9.1976–पैरा 1(4)]

तथा (का0ज्ञा0सं0-12016/2/78-रा0भा0(डी.) दिनांक 10.1.1979 क्रमसंख्या-92)

(ङ) हिंदी आशुलिपि- (i) अराजपत्रित हिंदी भाषी आशुलिपिकों को 70 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर हिंदी आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 12 महीने के लिए एक वेतन वृद्धि, जो आगामी वेतन वृद्धि में मिला दी जाती है, के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।

(ii) राजपत्रित आशुलिपिकों को 75 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।

जिन आशुलिपिकों (राजपत्रित एव अराजपत्रित दोनों) की मातृभाषा हिंदी नहीं है, उन्हें हिंदी आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दो वेतन वृद्धियों के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाता है। ये वेतन वृद्धियां भावी वेतन वृद्धियों में मिलाई जाएँगी। ऐसे कर्मचारी पहले वर्ष दो वेतन वृद्धियों के बराबर और दूसरे वर्ष पहली वेतन वृद्धि को मिला दिए जाने पर केवल एक वेतन वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन प्राप्त कर सकते हैं।

[का0ज्ञा0सं0-12014/2/76/रा0भा0(डी.) दिनांक 2.09.1976)

(का0ज्ञा0सं0-21034/08/2017/रा0भा0(प्रशि) दिनांक 26.07.2017]

टिप्पणी: जिस कर्मचारी को सेवाकालीन हिंदी प्रशिक्षण से छूट मिली हुई हो उस कर्मचारी को संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर किसी प्रकार के वित्तीय लाभ/ प्रोत्साहन नहीं मिलेंगे।

2- **नकद पुरस्कार-** हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएँ अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करने पर पात्रता के अनुसार निम्नलिखित नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिनकी वर्तमान दरें निम्नानुसार हैं-

(1) प्रबोध

1. 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर- रुपया 1600/-

2. 60 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर- रुपया 800/-

3. 55 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर- रुपया 400/-

(2) प्रवीण

1. 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर- रुपया 1800/-

2. 60 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर- रुपया 1200/-

3. 55 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर- रुपया 600/-

(3) प्राज्ञ

1. 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर रुपया- 2400/-

2. 60 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर- रुपया 1600/-

3. 55 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर- रुपया 800/-

(4) हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण

1. 97 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर- रुपया 2400/-

2. 95 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 97 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर- रुपया 1600/-

3. 90 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर- रुपया 800/-

(5) हिंदी आशुलिपि

1. 95 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर रुपया- 2400/-

2. 92 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर- रुपया 1600/-

3. 88 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 92 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर- रुपया 800/-

(6) निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदीभाषा, हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने पर एकमुश्त पुरस्कार

1. हिंदी शिक्षण योजना की प्रबोध परीक्षा- रुपया 1600/-

2. हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण परीक्षा- रुपया 1500/-

3. हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ परीक्षा- रुपया 2400/-

4. हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण परीक्षा- रुपया 1600/-

5. हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी आशुलिपि परीक्षा- रुपया 3000/-

(का0ज्ञा0सं0- 21034/66/10-रा0भा0 (प्रशि) दिनांक 29.7.2011)

टिप्पणी:

1. जिन कर्मचारियों को हिंदी के सेवाकालीन प्रशिक्षण से छूट प्राप्त है उन्हें संबंधित स्तर की हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर नकद एवं एकमुश्त पुरस्कार देय नहीं होंगे।

2. एकमुश्त पुरस्कार प्रचालन कर्मचारियों के अतिरिक्त केवल उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाएगा जो ऐसे स्थानों पर तैनात हैं जहाँ हिंदी शिक्षण योजना के प्रशिक्षण केंद्र नहीं हैं अथवा जहाँ संबंधित पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है।

3. जो प्रशिक्षार्थी निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी भाषा, हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षाएँ उत्तीर्ण करते हैं उनको एकमुश्त पुरस्कार के अलावा नकद पुरस्कार प्रदान करते समय निर्धारित किए गए प्रतिशत से पाँच प्रतिशत अंक कम प्राप्त करने पर भी नकद पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।

(का0ज्ञा0सं0- 21034/66/2010/रा0भा0(प्रशि0). दिनांक 29.07.2011)

3- अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में भी सरकारी काम-काज करने के लिए आशुलिपिकों तथा टंककों के प्रोत्साहन भत्ता

अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में भी सरकारी काम-काज करने के लिए आशुलिपिकों तथा टंककों के प्रोत्साहन भत्ता प्रतिमाह क्रमशः: 240/- रूपये व 160/- देने का प्रावधान है|

(आदेश सं. 13034/12/2009-रा. भा.(नीति)

4- सरकारी कामकाज (टिप्पण/आलेखन) मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना

सरकारी काम मूल रूप से हिंदी में करने के लिए पुरस्कार राशि निम्न प्रकार है-

केंद्र सरकार के प्रत्येक मत्रालय/विभाग/संम्बंध कार्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से:

पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार) : प्रत्येक 5000/-रुपये

दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार) : प्रत्येक 3000/-रुपये

तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार) : प्रत्येक 2000/-रुपये

(का.ज्ञा.सं. 12013/01/2011-रा.भा.(नीति) दिनांक 14 सितंबर, 2016)

योजना के लिए मुख्य मार्गदर्शी निम्नानुसार हैं:-

केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संबंध और अधीनस्थ कार्यालय अपने अधिकारीयों/कर्मचारियों के लिए स्वतंत्र रूप से इस योजना को लागू कर सकते हैं|

सभी श्रेणियों के वे अधिकारी/कर्मचारी इस योजना में भाग ले सकते हैं जो सरकारी काम पूर्णतः या कुछ हद तक मूल रूप से हिंदी में करते हैं|

केवल वही अधिकारी/कर्मचारी पुरस्कार के पात्र होंगे जो 'क' तथा 'ख' क्षेत्र में वर्ष में कम से कम 20 हजार शब्द तथा 'ग' क्षेत्र में वर्ष में कम से कम 10 हजार शब्द हिंदी में लिखें| इसमें मूल टिप्पण व प्रारूप के आलावा हिंदी में किये गए अन्य कार्य जिनका सत्यापन किया जा सके, जैसे रजिस्टर में इन्दराज, सूची तैयार करना, लेखा का काम आदि भी शामिल किये जायेगें|

आशुलिपि/टाइपिस्ट, जो सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने संबंधी किसी अन्य योजना के अतर्गत आते हैं इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे|

हिंदी अधिकारी और हिंदी अनुवादक सामान्यतः अपना काम हिंदी में करते हैं, वे इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे|

(क) मूल्यांकन करने के लिए कुल 100 अंक रखे जायेंगे| इनमें से 70 अंक हिंदी में किये गए काम की मात्रा के लिए रखे जायेंगे और 30 प्रतिशत अंक विचारों की स्पष्टता के लिए होंगे| (ख) जिन प्रतियोगियों की मातृभाषा तमिल, तेलगू, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, उड़िया या असमिया हो उन्हें 20 प्रतिशत अंको का लाभ दिया जायेगा| ऐसे कर्मचारी को दिए जाने वाले वास्तविक अंकों के लाभ का निर्धारण मूल्यांकन समिति द्वारा किया जायेगा| ऐसा करते समय समिति उन अधिकारियों/कर्मचारियों के काम के स्तर को भी ध्यान में रखेगी जो अन्यथा उससे क्रम में ऊपर हैं|

****

आपके पत्र

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय(लेखापरीक्षा-II), ओड़िशा, भुवनेश्वर

आपके कार्यालय द्वारा भेजी गई हिंदी पत्रिका 'लेखापरीक्षा ज्ञानोदय' के 4वें अंक की प्रति हमारे कार्यालय को प्राप्त हुआ है, तदहेतु धन्यवाद। इस अंक में समाविष्ट रचनाएं पठनीय, ज्ञानवर्धक एवं रोचक है। सारी रचनाएं बहुत पसंद आई हैं। पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति की शुभकामनाओं के साथ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/हिंदी

कार्यालय महालेखाकार(ले. एवं हक.) तमिलनाडु, चेन्नई

आपके कार्यालय की पत्रिका 'लेखापरीक्षा ज्ञानोदय' का चतुर्थ अंक प्राप्त हुआ, इसके लिए सहर्ष धन्यवाद। ये अंक अपने कलेवर, साज-सज्जा, मुद्रण स्पष्टता के कारण बहुत ही आकर्षक और मनोहारी बन पड़ा है। पत्रिका में सम्मिलित सामग्री उच्च स्तर की है। विभिन्न प्रकार की रचनाओं से सजी आपकी पत्रिका हिंदी कार्यान्वयन की दिशा में एक स्वर्णिम प्रयास है। पत्रिका में समाहित सभी रचनाएं उच्च कोटि की अत्यंत रोचक, ज्ञानवर्धक, मनोरंजक, पठनीय एवं सराहनीय है। इस अंक में प्रकाशित आलेख, कविताएं, कहानियाँ, संस्मरण आदि अत्यंत स्तरीय एवं ज्ञानवर्धक है। श्री आनंद कुमार सिंह द्वारा लिखित आलेख "अनुवाद की आवश्यकता" तथा हरीश कुमार द्वारा लिखित आलेख "भूमंडलीय ऊष्मीकरण(ग्लोबल वार्मिंग)" अत्यधिक सराहनीय है। राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में विभागीय रचनाकारों को उत्कृष्ट सृजनात्मक मंच प्रदान करने में आपकी इस पत्रिका की भूमिका महत्वपूर्ण बन रही है। यह बहुत ही सकारात्मक प्रक्रम है। पत्रिका भविष्य में और बेहतर करे यही कामना है। पत्रिका के सभी रचनाकारों एवं संपादक मंडल को पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए बधाई एवं पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

हिंदी अधिकारी

महालेखाकार का कार्यालय (लेखापरीक्षा)- II, महाराष्ट्र , मुंबई शाखा कार्यालय

आपके कार्यालय की हिंदी ई-पत्रिका "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" का चतुर्थ अंक प्राप्त हुआ है। पत्रिका में समाविष्ट सभी रचनाएं जैसे योग सभी के लिए, अनुवाद की आवश्यकता, भूमंडलीय ऊष्मीकरण तथा महिला सशक्तिकरण लेख तथा क्यूँ, सरकारी नौकरी तथा कविता, कविताएं अत्यंत प्रशंसनीय हैं। कार्यालय में आयोजित विभिन्न गतिविधियों जैसे उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक(वाणिज्यिक) महोदय के दौरे, गणतंत्र दिवस समारोह-2020, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तथा कार्यालय के खेल कर्मचारियों के प्रदर्शन की झलकियाँ अति शोभनीय हैं। हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए व पत्रिका के प्रकाशन हेतु आपका पत्रिका परिवार बधाई का पात्र है।

पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाओं सहित।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा

आपके पत्र संख्या/डीजीसीए/प्रशा./हिंदी पत्रिका/973 दिनांक 22/02/2021 के द्वारा तिमाही हिंदी ई-पत्रिका "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" के चतुर्थ अंक की प्रति प्राप्त हुई। एतदर्थ धन्यवाद। पत्रिका में समाहित सभी रचनाएं उच्च कोटि की हैं। 'योग सभी के लिए', 'अमीर खुसरो', 'भूमंडलीय ऊष्मीकरण', एवं 'राजभाषा संबंधी जानकारी' आदि रचनाएं विशेष रुप से ज्ञानवर्धक व प्रशंसनीय हैं। रचनाओं के मध्य छायाचित्र अत्यंत सार्थक एवं विषयानुकुल हैं।

उत्कृष्ट संयोजन एवं संपादन के लिए संपादक मंडल बधाई के पात्र हैं। पत्रिका के उत्तरोत्तर प्रगति एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/हिंदी

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा(केंद्रीय), लखनऊ

आपके कार्यालय द्वारा प्रेषित हिंदी पत्रिका "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" के चतुर्थ अंक (जनवरी-मार्च, 2020), पत्रांक डीजीसीए/प्रशा./हिंदी पत्रिका/973 दिनांक 22/02/2021 द्वारा प्राप्त हुआ।

पत्रिका का यह अंक अपने कलेवर, साज-सज्जा, मुद्रण स्पष्टता के कारण बहुत ही आकर्षक एवं मनोहारी बन पड़ा है। पत्रिका में समाविष्ट सभी रचनाएं अत्यंत रुचिकर एवं ज्ञानवर्धक है। राजभाषा हिंदी के संवर्धन व प्रसार में यह पत्रिका निश्चय रुप से सहायक है। पत्रिका के प्रकाशन हेतु संपादक मंडल एवं रचनाकारों का हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा(केंद्रीय), चेन्नई का कार्यालय

आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित हिंदी ई-पत्रिका "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" के चतुर्थ अंक की प्राप्ति इस कार्यालय में ई-मेल के माध्यम से हुई।धन्यवाद।

पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाएं पठनीय एवं उत्कृष्ट हैं। पत्रिका का मुख्यपृष्ठ बहुत ही आकर्षक है। सभी रचनाकारों की रचनाएं सराहनीय हैं। पत्रिका के सुंदर प्रकाशन के लिए संपादक मंडल बधाई के पात्र हैं। पत्रिका की निरंतर प्रगति एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए इस कार्यालय की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन

कार्यालय प्रधान महालेखाकार, लेखापरीक्षा- II पश्चिम बंगाल

आपके कार्यालय द्वारा प्रेषित तिमाही हिंदी ई-पत्रिका "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" के चतुर्थ अंक की प्राप्ति हुई है। पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाएं ज्ञानवर्धक एवं रोचक हैं। पत्रिका का आवरण, पृष्ठ एवं पत्रिका में प्रकाशित छायाचित्र अत्यंत आकर्षक और मनमोहक है। साथ ही पत्रिका का कलेवर भी अत्यंत आकर्षणीय है। कविताएं एवं लेख भी भावपूर्ण, सार्थक तथा मन को छू लेने वाली हैं।

आशा करता हूँ कि पत्रिका की गुणवत्ता एवं रचनात्मकता में उत्तरोत्तर प्रगति जारी रहेगी। पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य तथा आगामी अंको के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/हिंदी

कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा- II) राजस्थान, जयपुर

कार्यालय द्वारा प्रकाशित हिंदी त्रैमासिक ई-पत्रिका "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" के चतुर्थ अंक की प्राप्ति हुई, तदर्थ आपको बहुत-बहुत आभार। पत्रिका में समाविष्ठ सभी रचनाएं उत्कृष्ट, ज्ञानवर्धक और संग्रहणीय हैं। सभी लेख एवं कविताएं वर्तमान समय में अति-प्रासंगिक एवं अपरिहार्य है।

पत्रिका के सभी रचनाकारों एवं संपादक मंडल को पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए बधाई एवं पत्रिका के उत्तरोत्तर प्रगति के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया अपना यही सार्थक प्रयास निरंतर रखें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजभाषा अनुभाग

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), का कार्यालय, बिहार, पटना

आपके कार्यालय के पत्र संख्या डीजीसीए/प्रशा./हिंदी पत्रिका/973 दिनांक 22/02/2021 एवं ईमेल दिनांक 24/02/2021 के द्वारा हिंदी तिमाही पत्रिका 'लेखापरीक्षा ज्ञानोदय' के चतुर्थ अंक की ई-प्रति सधन्यवाद प्राप्त हुई।

अंक पठनीय और उत्कृष्ट है। पत्रिका का आवरण एवं साज-सज्जा सुंदर एवं लुभावना है। उसका बाहरी रंग रुप ही नहीं, आंतरिक सौंदर्य भी आकर्षित करता है। सुश्री व्ही सरला की रचना 'क्यूँ', श्री शरद कुमार की रचना 'सरकारी नौकरी', एवं श्री हरीश कुमार की रचना 'भूमंडलीय उष्मीकरण(ग्लोबल वार्मिंग)' काफी रोचक, सराहनीय एवं ज्ञानवर्धक है। सभी रचनाकार बधाई के पात्र हैं।

पत्रिका के श्रेष्ठ संकलन हेतु संपादक मंडल बधाई के पात्र है। पत्रिका इसी प्रकार निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर रहे, ऐसी हमारी कामना है।

वरीय लेखा अधिकारी(हिंदी)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा), उत्तराखंड

आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित हिंदी त्रैमासिक ई-पत्रिका "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" के चतुर्थ अंक(जनवरी-मार्च, 2020) की प्रति प्राप्त हुई, तदर्थ धन्यवाद। पत्रिका में संकलित रचनाएँ लेखकों के रचना-संसार के विविध पहलुओं पर प्रकाश डालने वाली हैं। पत्रिका में विभिन्न कार्यक्रमों के छायाचित्र आकर्षक हैं तथा संकलित रचनाओं की सादगी भी प्रशंसनीय है। इनमें से जो रचनाएं अति उत्तम लगी, वो हैं- सरकारी नौकरी, योग सभी के लिए और अनुवाद की आवश्यकता। कार्यालय के प्रायः सभी वर्ग के कर्मियों ने जिस प्रकार अपनी सृजनशीलता से पत्रिका को सुसज्जित किया है वो अन्य कार्यालयों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है। हम मुक्त कंठ से इसकी प्रशंसा करते हैं।

पत्रिका के सभी रचनाकारों एवं संपादक मंडल को पुनः हार्दिक बधाई एवं पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए शुभकामनाओं सहित।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/हिंदी

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय, भुवनेश्वर, ओड़िशा

आपके कार्यालय द्वारा प्रेषित हिंदी ई-पत्रिका 'लेखापरीक्षा ज्ञानोदय' का चतुर्थ अंक प्राप्त हुआ है। एतदर्थ धन्यवाद। पत्रिका का कलेवर व रूपरेखा अत्यधिक आकर्षक है। इस पत्रिका में समाविष्ट सभी रचनाएं उत्कृष्ट, ज्ञानवर्धक और रोचक है, विशेषकर निम्नलिखित रचनाकारों की रचनाएं हमारे विचार से प्रशंसनीय है:-

क्रम	रचनाकार	रचनाएं
1	श्री शरद धनगर, लेखापरीक्षक	सरकारी नौकरी
2	श्री आकाश सिंह हाडा, सहा. लेखापरीक्षा अधिकारी	योग सभी के लिए

इस पत्रिका को सफल एवं उच्चकोटि बनाने में योगदान देने वाले सभी रचनाकारों एवं संपादक मंडल को हार्दिक शुभकामनाएं।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजभाषा

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़, रायपुर

आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित तिमाही हिंदी ई-पत्रिका "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" के चतुर्थ अंक (जनवरी-मार्च, 2020) की प्रति प्राप्त हुई। पत्रिका की यह प्रति भेजने हेतु आपका हार्दिक आभार। भेजी गई पत्रिका में संकलित सभी रचनाएं पठनीय, रुचिकर एवं प्रेरणादायक हैं। इस पत्रिका में सामाजिक जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक लेख लिखे गए हैं। पत्रिका की साज-सज्जा अत्यंत आकर्षक एवं मनमोहक है।

राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में यह पत्रिका महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। सभी रचनाकारों एवं संपादक मण्डल को पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए बधाई एवं उत्तरोत्तर प्रगति के लिए शुभकामनाएं।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/हिंदी

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), असम, गुवाहाटी

पत्रिका के सभी रचनाएं रोचक एवं ज्ञानवर्धक हैं।

आशा है पत्रिका राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मौलिक लेखन प्रतिभा को बढ़ावा देने में प्रेरक भूमिका निभाएगी। पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं।

राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में यह पत्रिका महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। सभी रचनाकारों एवं संपादक मण्डल को पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए बधाई एवं उत्तरोत्तर प्रगति के लिए शुभकामनाएं।

हिंदी अधिकारी

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना

आपके कार्यालय की हिंदी पत्रिका "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" के चतुर्थ अंक की ई-प्रति इस कार्यालय को प्राप्त हुई, एतदर्थ धन्यवाद। इस अंक में स्तरीय और ज्ञानवर्धक रचनाओं को संकलित किया गया है। समसामयिक विषयों पर केंद्रित 'भुमंडलीय ऊष्मीकरण' और "योग सभी के लिए" आलेख उल्लेखनीय हैं। इस अंक में सम्मिलित 'अनुवाद की आवश्यकता', राजभाषा संबंधी जानकारी', 'अमीर खुसरो' शीर्षक आलेख शोध आधारित रचना विशेष रुप से पठनीय है।

पत्रिका राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार की दिशा में सशक्त भूमिका का निर्वहन कर रही है। पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य की कामना सहित प्रकाशन से जुडे रचनाकारों एवं संपादक मंडल को हार्दिक शुभकामानाएं।

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी(हिंदी)

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)- II, महाराष्ट्र , नागपुर

आपके कार्यालय की त्रैमासिक ई-पत्रिका "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" के चतुर्थ अंक की प्रति प्राप्त हुई, सहर्ष धन्यवाद।

पत्रिका में समाविष्ट सभी लेख एवं कविताएं रोचक एवं ज्ञानवर्धक हैं। विशेषकर सुश्री व्ही सरला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी की कविता "क्यूँ..', श्री आनंद कुमार सिंह, कनिष्ठ अनुवादक का लेख 'अनुवाद की आवश्यकता' तथा श्री हरीश कुमार, आंकडा प्रविष्टि प्रचालक का लेख 'भुमंडलीय ऊष्मीकरण (ग्लोबल वार्मिंग)' उल्लेखनीय एवं सराहनीय है। पत्रिका का मुख्य पृष्ठ अत्यंत आकर्षक है।

पत्रिका के रचनाकारों एवं संपादक मंडल को सफल संपादन तथा प्रकाशन हेतु हार्दिक बधाई एवं पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य के लिए हमारे कार्यालय की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/हिंदी

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान, जयपुर

आपके कार्यालय की तिमाही हिंदी ई-पत्रिका "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" का चतुर्थ ई-अंक प्राप्त हुआ। आपकी पत्रिका हिंदी के प्रचार-प्रसार में महती भूमिका निभा रही है। इस पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाएं रोचक एवं पठनीय हैं।

पत्रिका के इस अंक में सम्मिलित की गई सुश्री व्ही सरला की कविता "क्यूँ..', श्री आकाश सिंह हाडा का लेख 'योग सभी के लिए', श्री शरद धनगर की कविता 'सरकारी नौकरी' तथा श्री हरीश कुमार का लेख 'भुमंडलीय ऊष्मीकरण (ग्लोबल वार्मिंग)' उल्लेख विशेष रुप से सराहनीय है।

पत्रिका के सफल संपादन हेतु संपादक मंडल को बधाई व पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति एवं उज्ज्वल भविष्य हेतु हार्दिक शुभकामनाएं।

कल्याण अधिकारी/राजभाषा कक्ष

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी.) ओडिसा, भुवनेश्वर

आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित तिमाही हिंदी ई-पत्रिका "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" के चतुर्थ अंक की ई-प्रति प्राप्त हुई। पत्रिका प्रेषण के लिए धन्यवाद. पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाएं रोचक एवं ज्ञानवर्धक हैं।

श्री हरीश कुमार की रचना 'भुमंडलीय ऊष्मीकरण (ग्लोबल वार्मिंग)', श्री आनंद कुमार सिंह, की रचना 'अनुवाद की आवश्यकता' सुश्री व्ही सरला की रचना "क्यूँ.", एवं श्री शरद धनगर की रचना 'सरकारी नौकरी' आदि विशेष रुप से प्रशंसनीय है।

पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उत्कृष्ट साज-सज्जा एवं संपादन के लिए संपादक मंडल को हार्दिक बधाई प्रेषित है।

हिंदी अधिकारी

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) छतीसगढ़, रायपुर

आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित तिमाही हिंदी ई-पत्रिका "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" चतुर्थ अंक (जनवरी-मार्च, 2020) की प्रति प्राप्त हुई। पत्रिका की यह प्रति भेजने हेतु आपका हार्दिक आभार। भेजी गई पत्रिका में संकलित सभी रचनाएं पठनीय, रुचिकर एवं प्रेरणादायक हैं। इस पत्रिका में सामाजिक जीवन से जुडे विभिन्न पहलुवों पर प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक लेख लिखे गए हैं।

राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में यह पत्रिका महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। सभी रचनाकारों एवं संपादक मंडल को पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए बधाई एवं पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए शुभकामनाएं।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/हिंदी

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा(गृह, शिक्षा एवं कौशल विकास), नई दिल्ली

पत्रिका "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" के चतुर्थ अंक की ई-पत्रिका ई-मेल द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुई, सहर्ष धन्यवाद। पत्रिका में सभी लेख, कविताएं, प्रेरक प्रसंग आदि पठनीय, रोचक एवं ज्ञानवर्धक हैं। पत्रिका में सभी रचनाएं उत्तम स्तर की हैं। इसके लिए सभी रचनाकार बधाई के पात्र हैं। साहित्य की सभी विधाओं में रचनाएं बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णित हैं। पत्रिका में समाविष्ट सभी रचनाएं ज्ञानवर्धक और संग्रहणीय हैं। पत्रिका में समाहित सभी रचनाओं में सृजनात्मकता, सकारात्मकता तथा नवीनता को मार्मिक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। कार्यालय के प्रायः सभी वर्ग के कार्मिकों ने अपनी मौलिकता से पत्रिका को सुसज्जित किया है। पत्रिका के सभी रचनाकारों एवं संपादक मंडल को पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए बधाई एवं पत्रिका के उत्तरोत्तर प्रगति के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। इस पत्रिका का मैंने अध्ययन किया, इसमें वर्णित सभी तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हैं।
एक बार पुनः हृदय से धन्यवाद।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन

आप सभी से प्राप्त बधाई एवं शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत आभार। आपके पत्रों के माध्यम से पत्रिका के संबंध में आपकी प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई, तदर्थ धन्यवाद। आपके प्रतिक्रियाओं से हमारे आगामी अंको हेतु मार्गदर्शन होता है तथा पत्रिका को और बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने के लिए हमे प्रोत्साहन मिलता है। हमारे छोटे से प्रयास की सराहना के लिए आप सभी का धन्यवाद तथा हम यह आशा करते हैं कि भविष्य में भी आपका सहयोग प्राप्त होता रहेगा और हम सभी एक साथ मिलकर राजभाषा हिंदी के विकास में अपना योगदान देंगे।

अतः आप सभी पाठकों से अनुरोध है कि पत्रिका को पढ़ने के पश्चात अपने विचार हमें प्रेषित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन

कार्यालय महानिदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, मुंबई

****

राजभाषा हिंदी के संबंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य

क्र.सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 65% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्यसंघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय व्यक्ति 100%	1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4.ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्यसंघ राज्य क्षेत्र के कार्यालयव्यक्ति 90%	1 ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 55% 2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55% 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्यसंघ राज्य क्षेत्र के कार्यालयव्यक्ति 55%
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	75%	50%	30%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%	60%	30%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
6.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	55%	30%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पेनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
10.	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद ।	100%	100%	100%
11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड आदि का प्रदर्शन द्विभाषी हो	100%	100%	100%